

14 मार्च 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

1. "रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय कैसे पहुंचे?"

राजव्यवस्था:

1. उत्तराखण्ड के यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

सामाजिक न्याय:

1. उच्च सहभागिता, बेहतर शिक्षा:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने गैंडों के आवास को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के कदम को रोक दिया:
2. मोदी, सुनक ने भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता की प्रगति का आकलन किया:
3. 'वन नेशन वन पोल' पैनल आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

"रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय कैसे पहुंचे?"

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय।

संदर्भ:

- हाल ही में रूस-यूक्रेन संघर्ष (Russia-Ukraine conflict) में दो भारतीय नागरिकों की मौत ने रूसी पक्ष में युद्ध भूमिकाओं में भारतीयों की भागीदारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रूसी सेना के लिए "सुरक्षा सहायक" और कर्मियों के रूप में अवैध रूप से भारतीयों की भर्ती करने में शामिल एक मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है।
- इसने विदेशी संघर्षों में भारतीय नागरिकों के शोषण और खतरे के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

समस्याएँ:

- धोखा और जबरदस्ती:** भारतीय नागरिकों को भर्ती एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया, जिन्होंने रूस में आकर्षक नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उन्हें रूसी सेना में लड़ाकू भूमिकाओं के लिए मजबूर किया था।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन:** भर्ती प्रक्रिया में पासपोर्ट जब्त करना और व्यक्तियों को सैन्य सेवा के लिए बाध्य करने वाले अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना, उनके अधिकारों और स्वायत्तता का उल्लंघन करना शामिल था।
- सरकारी हस्तक्षेप का अभाव:** प्रभावित व्यक्तियों की मदद की गुहार के बावजूद, भारत सरकार की प्रतिक्रिया सीमित रही है, जिससे कई लोग खतरनाक स्थितियों में फंसे हुए हैं।

- **कमजोर व्यक्तियों का शोषण:** तस्करों ने रोजगार और शैक्षिक अवसरों के झूठे वादे करके कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया, जिनमें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी शामिल थे।

महत्व:

- **मानवीय चिंता:** युद्धक भूमिकाओं में फँसे भारतीय नागरिकों की दुर्दशा उनकी सुरक्षा और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- **राजनयिक निहितार्थ:** विदेशी संघर्षों में भारतीय नागरिकों की भागीदारी से भारत और प्रभावित देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है, जिससे समाधान के लिए राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- **कानूनी प्रभाव:** युद्धक भूमिकाओं में भारतीय नागरिकों की अवैध भर्ती और ज़बरदस्ती अपराधियों के लिए जवाबदेही और न्याय के संबंध में कानूनी सवाल खड़े करती है।
- **विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा:** यह मामला विदेश यात्रा या काम करते समय भारतीय नागरिकों को शोषण और तस्करी से बचाने के लिए तंत्र को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है।

समाधान:

- **राजनयिक वार्ता:** भारत सरकार को संघर्ष में शामिल भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ राजनयिक वार्ता में शामिल होना चाहिए।
- **कानूनी कार्रवाई:** सीबीआई की जांच से मानव तस्करी और अवैध भर्ती के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
- **जागरूकता अभियान:** भारतीय नागरिकों के बीच धोखाधड़ी वाली भर्ती योजनाओं का शिकार होने के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विदेश में वैध रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

- **कांसुलर सहायता:** विदेश में कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों, जिनमें संघर्ष क्षेत्रों में फंसे लोग भी शामिल हैं, को समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कांसुलर सेवाओं को मजबूत करना।

सारांश:

- अर्वद्य भर्ती के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारतीयों की भागीदारी के बारे में खुलासे प्रभावित व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

उत्तराखण्ड के यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली:

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय संविधान - ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

प्रारंभिक परीक्षा: यूसीसी (Uniform Civil Code)।

मुख्य परीक्षा: यूसीसी पर उत्तराखण्ड अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान।

संदर्भ:

- राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक, 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखण्ड ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code (UCC)) लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है।
- जनजातीय समुदायों को बाहर रखते हुए इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम पर्सनल लॉ से हलाला, इदत और तलाक जैसी प्रथाओं को खत्म करना और संपत्ति और विरासत अधिकारों के मामलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।

समस्पाएँ:

- **विविधता और जनजातीय बहिष्कार:** यूसीसी से आदिवासी समुदायों का बहिष्कार विविध सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों में समावेशिता और कोड की प्रयोज्यता पर सवाल उठाता है।
- **मुस्लिम पर्सनल लॉ पर विवाद:** हलाला, इदत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ इसकी अनुकूलता पर बहस छेड़ दी है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** विविध आबादी के बीच एक व्यापक यूसीसी लागू करना प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियाँ पेश करता है, जिसमें परस्पर विरोधी कानूनों और रीति-रिवाजों को समेटना भी शामिल है।
- **राजनीतिक निहितार्थ:** यूसीसी के अधिनियमन से विचारों का ध्वनीकरण हो सकता है और राजनीतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

महत्व:

- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** यूसीसी विवाह, तलाक, संपत्ति और विरासत के मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **कानूनी एकरूपता:** यूसीसी का कार्यान्वयन कानूनी एकरूपता स्थापित करता है और धर्म या समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त करता है, जिससे एक अधिक एकजुट समाज को बढ़ावा मिलता है।
- **संवैधानिक सिद्धांत:** यूसीसी का अधिनियमन समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो बहुलवादी समाज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- **एक मिसाल कायम करना:** उत्तराखण्ड का अग्रणी कदम अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए यूसीसी लागू करने पर विचार करने के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिससे देशव्यापी चर्चा और संभावित विधायी कार्रवाई शुरू हो गई है।

समाधान:

- **समावेशी कार्यान्वयन:** सुनिश्चित करें कि जनजातीय समूहों सहित सभी समुदायों की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी को समावेशी रूप से लागू किया जाए।
- **जन जागरूकता एवं शिक्षा:** यूसीसी के प्रावधानों और निहितार्थों के बारे में नागरिकों को सूचित करने, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करें।
- **कानूनी सुरक्षा उपाय:** यूसीसी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली कानूनी चुनौतियों और शिकायतों का समाधान करने के लिए तंत्र स्थापित करना, संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए सहारा प्रदान करना।
- **संवाद और परामर्श:** यूसीसी के कार्यान्वयन पर चिंताओं को दूर करने और आम सहमति बनाने के लिए धार्मिक और सामुदायिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों सहित हितधारकों के साथ संवाद और परामर्श की सुविधा प्रदान करना।

सारांश:

- उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का अधिनियमन भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य में लैंगिक समानता, कानूनी एकरूपता और संवैधानिक सिद्धांतों के निहितार्थ के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

संपादकीय-द हिन्दू**संपादकीय:****उच्च सहभागिता, बेहतर शिक्षा:****सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:****सामाजिक न्याय:**

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से

संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: सीखने के परिणाम में छात्रों को शामिल करने का महत्व।

विवरण:

- उच्च नामांकन दर के बावजूद, भारत में छात्रों का एक बड़ा हिस्सा पढाई के बुनियादी स्तर के कौशल के साथ संघर्ष करता दिखाई देता है।
- सार्वजनिक स्कूल में उपस्थिति कम होती है, जिससे सीखने के परिणाम खराब हो रहे हैं।
- कक्षाओं में छात्रों की सहभागिता की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है।
- इस समस्या के लिए शिक्षक अक्सर कम सहभागिता और परिणामस्वरूप कम प्रेरणा के लिए खराब उपस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं।

वर्तमान कक्षा की गतिशीलता:

- पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें शिक्षक मुख्य रूप से अग्रिम पंक्ति के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- रटना आम बात है, लेकिन यह सभी छात्रों के लिए प्रभावी नहीं है, खासकर तेजी से बदलती दुनिया को देखते हुए।
- कक्षाओं में संज्ञानात्मक और भावनात्मक जुड़ाव का अभाव है, जिससे सार्थक तरीके से सीखने के अनुभव में बाधा आती है।
- वास्तविक समय की प्रतिक्रिया की कमी के कारण शिक्षकों के लिए छात्रों की समझ का आकलन करना और उसके अनुसार शिक्षण को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

छात्र सहभागिता का महत्व:

- सार्थक सीखने के अनुभवों के लिए सक्रिय भागीदारी और सहभागिता महत्वपूर्ण है।
- छात्रों को चर्चा, समस्या-समाधान और व्यावहारिक सीखने के अवसरों की आवश्यकता होती है।

- शिक्षक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
- कक्षा का वातावरण समावेशी होना चाहिए और सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करना:

- भारत में शिक्षक प्रशिक्षण सैद्धांतिक होता है और इसमें व्यावहारिक घटकों का अभाव होता है।
- नई शिक्षण पद्धतियों को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए शिक्षकों को निरंतर समर्थन और कोचिंग की आवश्यकता है।
- शिक्षा के अधिकार (Right to Education) से सीखने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
- संरचित पाठों को लागू करना, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक-छात्र संबंधों को बढ़ावा देना और छात्र स्वायत्तता को बढ़ावा देने से बालक का सिखने के कौशल से जुड़ाव बढ़ा सकता है और उसके परिणामों में सुधार कर सकता है।

सारांश:

- भारतीय स्कूलों में उच्च नामांकन दर के बावजूद, एक महत्वपूर्ण सीखने की कमी बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण छात्रों की कम भागीदारी है। पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, प्रतिक्रिया की कमी और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण इस मुद्दे में योगदान करते हैं, जो सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने गैंडों के आवास को गैर-अधिसूचित करने के असम सरकार के कदम को रोक दिया:

संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 'एक सींग वाले गैंडों' (Greater one-Horned Rhinoceroses) की महत्वपूर्ण आबादी के घर, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना को वापस लेने के असम सरकार के प्रयास को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है।
- 1998 में वन विभाग द्वारा अधिसूचना के एकतरफा जारी होने का हवाला देते हुए, अभ्यारण्य की अधिसूचना को निरस्त करने के सरकार के कदम ने वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

समस्याएँ:

- **एकतरफा अधिसूचना:** अन्य संबंधित विभागों या हितधारकों से परामर्श किए बिना 1998 में वन विभाग द्वारा अभ्यारण्य अधिसूचना जारी करने से प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और आम सहमति की कमी पर विवाद छिड़ गया है।
- **वनवासियों के अधिकार:** इस क्षेत्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों का निपटान किए बिना अभ्यारण्य अधिसूचना को वापस लेना उनकी आजीविका और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है।
- **संरक्षण निहितार्थ:** पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य लुप्तप्राय 'एक सींग वाले गैंडों' के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है, और इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता (biodiversity) को खतरे में डाल सकता है।
- **कानूनी स्पष्टता:** अभ्यारण्य अधिसूचना को वापस लेने के सरकार के फैसले की वैधता और वन्यजीव संरक्षण और वन प्रशासन के लिए इसके निहितार्थ की मौजूदा कानूनों और अदालत के निर्देशों के आलोक में जांच की जानी चाहिए।

महत्व:

- **वन्यजीव संरक्षण:** सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण में योगदान के लिए अभ्यारण्य अधिसूचनाओं को कायम रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
- **वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत का निर्देश कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के दौरान वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो, न्यायसंगत और समावेशी संरक्षण नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **कानूनी मिसाल:** यह मामला अभ्यारण्य अधिसूचनाओं को वापस लेने और पर्यावरण संरक्षण और वन प्रशासन से संबंधित मामलों में परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में एक कानूनी मिसाल कायम करता है।
- **हितों को संतुलित करना:** वन्यजीव आवासों और वनवासियों के अधिकारों दोनों की रक्षा पर अदालत का जोर सामाजिक-आर्थिक विचारों के साथ संरक्षण उद्देश्यों को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

2. मोदी, सुनक ने भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता की प्रगति का आकलन किया:

संदर्भ:

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement (FTA)) पर बातचीत की प्रगति का आकलन करने के लिए चर्चा में शामिल हुए।
- दोनों देशों में चल रहे आम चुनावों के बीच, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के महत्व को दर्शाते हुए पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते तक पहुंचने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

समस्याएँ:

- **दीर्घकालीन वार्ता:** जनवरी 2022 से चल रही बातचीत के बावजूद, दोनों पक्ष अभी तक मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख पहलुओं पर एक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे सौदे को अंतिम रूप देने में देरी और अनिश्चितता एं पैदा हुई हैं।
- **चुनाव संबंधी दबाव:** वार्ता का समय भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों में आम चुनावों के साथ मेल खाता है, जिससे प्रक्रिया में राजनीतिक जटिलताएं और समय की कमी जु़़ जाती है।
- **महत्वाकांक्षी परिणाम:** दोनों देशों का लक्ष्य मुक्त व्यापार समझौते के लाभों को अधिकतम करने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त करना है।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ:** प्रधान मंत्री मोदी और प्रधान मंत्री सुनक के बीच चर्चा में व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचार किया गया, जो आर्थिक मुद्दों और भू-राजनीतिक गतिशीलता के अंतर्संबंध को दर्शाता है।

महत्व:

- **आर्थिक साझेदारी:** मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करने, दोनों देशों में व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता रखता है।
- **रणनीतिक निहितार्थ:** भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने से रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित साझा हितों पर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान मिल सकता है।
- **बाज़ार पहुंच:** यह समझौता विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए बढ़ी हुई बाजार पहुंच प्रदान कर सकता है, विकास के अवसरों को सुविधाजनक बना सकता है और भारतीय और ब्रिटिश कंपनियों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार कर सकता है।

- वैश्विक व्यापार के लिए संकेतः मुक्त व्यापार समझौते का सफल निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सकारात्मक संकेत भेजेगा, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक खुलेपन के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा।

3. 'वन नेशन वन पोल' पैनल आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है:

संदर्भः

- पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर समिति, संभावित रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है।
- सितंबर 2023 में स्थापित इस समिति को पूरे भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता और निहितार्थ तलाशने का काम सौंपा गया है।
- रिपोर्ट में अपेक्षित सिफारिशों में संविधान के प्रासंगिक लेखों में संशोधन या समकालिक मतदान की सुविधा के लिए नए प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

समस्याएँ:

- **संवैधानिक संशोधनः**: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के प्रस्ताव में क्रमबद्ध चुनावों की वर्तमान रूपरेखा को देखते हुए, शासन के विभिन्न स्तरों पर चुनावों के तादात्य को सक्षम करने के लिए संवैधानिक संशोधन या परिवर्धन की आवश्यकता है।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ**: एक साथ चुनावों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक समन्वय और तार्किक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिससे बुनियादी ढांचे, संसाधनों और चुनावी प्रबंधन के मामले में चुनौतियां सामने आती हैं।
- **राजनीतिक सर्वसम्मतिः**: एक साथ चुनाव के विचार पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति हासिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चुनावी चक्रों का पुनर्गठन और संभावित रूप से

राजनीतिक परिदृश्य को बदलना शामिल है, जिससे विभिन्न हितधारकों के बीच अलग-अलग राय और चिंताएं पैदा होती हैं।

- **संघीय संरचना पर विचार:** समकालिक चुनावों की दिशा में कदम उठाते हुए चुनावी प्रक्रियाओं में दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए राज्यों की स्वायत्तता और विविधता का सम्मान करते हुए भारत की शासन प्रणाली के संघीय ढांचे पर विचार करना चाहिए।

महत्व:

- **शासन दक्षता:** समकालिक चुनावों का उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावी चक्रों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करके शासन की दक्षता को बढ़ाना है, जिससे नीति निर्माताओं को बार-बार होने वाले चुनावों से ध्यान भटकाए बिना शासन और विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **लागत बचत:** एक साथ चुनाव कराने से सरकार और राजनीतिक दलों दोनों के लिए पर्याप्त लागत बचत हो सकती है, क्योंकि यह चुनाव-संबंधी व्यय को सुव्यवस्थित करता है और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करता है।
- **मतदाता सहभागिता:** चुनावों को समेकित करने से बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी मतदाताओं की थकान को कम करके और नागरिकों के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाकर मतदाताओं की भागीदारी में संभावित रूप से सुधार हो सकता है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** एक साथ चुनाव अधिक एकजुट चुनावी जनादेश प्रदान करके, राजनीतिक अनिश्चितता को कम करके और दीर्घकालिक नीति योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाकर राजनीतिक स्थिरता में योगदान करने की क्षमता रखते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रदान करना है।
2. यूसीसी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में निहित एक प्रावधान है।
3. देश की आजादी के बाद से समान नागरिक संहिता भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू की गई है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) तीनों कथन सही हैं।
- (b) तीनों कथन ग़लत हैं।
- (c) केवल कथन 1 सही है।
- (d) केवल कथन 1 और 3 सही हैं।

उत्तर: c

प्रश्न 2. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करते हैं।

कथन II: भारत का संविधान कम से कम दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अनिवार्य करता है, लेकिन किसी भी समय अधिकतम चार चुनाव आयुक्त हो सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) दोनों कथन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: d

प्रश्न 3. भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: ASER का संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है।

कथन II: ASER एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो भारत में बच्चों के बीच शिक्षा और सीखने के परिणामों की स्थिति का आकलन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) दोनों कथन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 4. पारिस्थितिक पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इकोटूरिज्म पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों में लक्जरी रिसॉर्ट्स जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

कथन 2: जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए इकोटूरिज्म एक संभावित उपकरण हो सकता है।

कथन 3: इकोटूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और स्थानीय समुदायों की भलाई को बनाए रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
2. भारत के संविधान के कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।
3. आरबीआई के गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. क्या समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के लोकाचार के विरुद्ध है? (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, राजव्यवस्था] (Is the implementation of the Uniform Civil Code posed against the ethos of secularism enshrined in the Indian Constitution? (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity])

प्रश्न 2. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव योजना की व्यवहार्यता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, राजव्यवस्था] (Critically examine the feasibility of the One Nation One Election scheme being proposed by the Indian Government. (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर किलक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)